C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
03 DEC 2024
D. No......
Initials......

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

| | |
|---|---|
| प्रथम अपील सं | CICOM/A/P/24/00124 |
| संदर्भ संचिका सं . | CICOM/R/P/24/00388 |
| अपीलकर्ता | श्री विवेक कुमार |

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 03.09.2024 |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 17.09.2024 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 07.10.2024 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री बाबू लाल<br>CPIO,(Dak Section) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 23.10.2024 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 04.11.2024 |
| निर्णय की तारीख | 02.12.2024 |

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 03.09.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"अपीलकर्ता ने पत्र दिनांक 06.11.2023 से संबंधित 7 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी है।" (फाइल में सल्गन है)

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 07.10.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"As per available records, your letter dated 06.11.2023 has been received and diarized in CIC vide diary no. 144818 dated 09.11.2023 and the same has been link with file no. CIC/PRGHC/A/2023/140977."

3. प्रथम अपील का आधार

"पत्र दिनांक 06.11.2023 के निवेदन प्रस्तर सापेक्ष अपना कथन न देने का कारण (आधार) भी देने का कष्ट करें। सापेक्ष सूचना मांगी थी लेकिन उक्त कोई सूचना प्राप्त नहीं अतः अपीलार्थी असंतुष्ट है।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/24/00388 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने 07.10.2024 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिकारी अधिनियम की धारा 2(च)के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी केवल सम्बंधित लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 02.12.2024

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

3-12-24